18.12.14

संख्याः 1191 /35-4-2007

प्रेषक,
वी. वेंकटाचलम्
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक 25 मार्च,2008

विषयः- जनपदों को रू. 50 लाख प्रति जनपद की दर से पूंजीगत विकास कार्यों पूर्ति हेतु उपलब्ध धनराशि के उपयोग हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपदों में विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स (जिसमें क्रिटिकल वित्तीय गैप्स भी सम्मिलित होगा) की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए अपरिहार्य पूंजीगत कार्य कराये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप ही योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(वी. वेंकटाचलम्)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1191 / 35-4-2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त विकास विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव
2- समस्त मण्डलायुक्त
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी
4- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
5- नियोजन विभाग एवं राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी।

(वी. वेंकटाचलम्)
प्रमुख सचिव।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

पूँजीगत विकास कार्यों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

जनपदों में विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु जिला स्तर पर ऐसी कोई धनराशि उपलब्ध नहीं रहती, जिससे अपरिहार्य कार्यों को कराया जा सके। जिला स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए अपरिहार्य पूँजीगत कार्य कराये-जाने के उद्देश्य से एकमुश्त धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था परिकल्पित है।

वित्तीय व्यवस्था

वित्तीय वर्ष के लिए योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन छोटे-छोटे अपरिहार्य कार्यों को पूर्ण करने हेतु धनराशि का उपयोग किया जायेगा। शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कार्यों का चयन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2007-08 के लिए बजट व्यवस्था निम्न प्रकार है:-

ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था 24-वृहद निर्माण कार्य	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय 60-अन्य शहरी विकास योजनायें 800-अन्य व्यय 03-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था 24-वृहद निर्माण कार्य

योजना का आच्छादन

योजना में केवल राजकीय विभागों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजीगत कार्य अनुमन्य होंगे। विभिन्न विकास कार्यो के क्रिटिकल गैप्स, जिसमें क्रिटिकल वित्तीय गैप्स भी सम्मिलित होगा, की पूर्ति हेतु पूँजीगत कार्य कराये जा सकेगें ।

योजना में प्रतिबन्ध

- योजना के अधीन राजस्व मदों पर कोई धनराशि देय नहीं होगी और न ही अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी।
- मरम्मत तथा रखरखाव पर धनराशि का उपयोग प्रतिबन्धित होगा।
- संचालन व्यय को इस धनराशि से वहन नहीं किया जायेगा।
- किसी भी गैर सरकारी संस्थाओं के कार्य किसी भी रूप में अनुमन्य नहीं होंगे।
- योजना में सम्बन्धित विभाग के मानकों से हटकर कराये जाने वाला कोई कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	अन्य किसी प्रकार का प्रशासनिक/आकस्मिक व्यय देय नहीं होगा।
आगणनों के स्पेसीफिकेशन	विभिन्न कार्यों के सम्बंध में तैयार किये जाने वाले आगणनों में मानकों के अनुसार सामान्य स्पेसीफिकेशन रखे जायेंगे।
निर्माण एजेन्सी/ कार्यदायी संस्थाओं का चयन	जिलाधिकारियों द्वारा वित्त विभाग के यथा संशोधित शासनादेश संख्या–ई–8–215/दस–1998–648/1994 दिनॉक 9 मार्च,1998 एवं शासनादेश संख्या–ई–8–303/दस–06–89/2004 दिनॉक 2 मार्च,2006 के अनुसार कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था/ निर्माण एजेन्सी का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि निर्माण कार्य राजकीय विभागों द्वारा ही सम्पादित हो। कार्य से सम्बंधित विभाग की स्वयं की निर्माण इकाई अथवा उसके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई निर्माण एजेन्सी होगी। जिन विभागों में स्वयं की अथवा उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई नहीं है, उन विभागों के निर्माण कार्यों के सम्बंध में राजकीय विभागों की निर्माण एजेन्सियॉ कार्यदायी संस्था होंगी। किसी भी दशा में निजी संस्था को निर्माण एजेन्सी के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।
आगणनों का तकनीकी स्वीकृति	कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व आगणनों/ अनुमानों पर यथाविधि सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति शासनादेश संख्या–ई–8–303/दस–06–89/ 2004 दिनॉक 2 मार्च ,2006 के आलोक में प्रदान की जायेगी।
परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण एवं रखरखाव	कार्य कराये जाने के उपरांत कार्यदायी संस्था द्वारा सृजित परिसम्पत्ति सम्बंधित विभाग को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व हस्तांतरित की जायेगी। सृजित परिसम्पत्ति के रखरखाव/ अनुरक्षण/ संचालन आदि की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सम्बंधित प्रशासकीय विभाग का होगा।
आडिट की व्यवस्था	अन्य शासकीय व्ययों की भॉति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले व्यय का नियमानुसार आडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सम्पादित होगा।
अवशेष धनराशि, यदि कोई हो	कार्य विशेष के लिए स्वीकृत होने वाली धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के उपरांत यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कार्य पूर्ण करने के उपरांत अधिकतम एक माह के अंदर राजकोष में जमा किया जायेगा तथा

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

➢ योजना में ऐसे कार्य अनुमन्य नहीं होंगे, जिनमें भविष्य के लिए कोई वचनबद्धता/ पदों का सृजन निहित हो।

कार्यों का चयन

1— योजनान्तर्गत कार्यों का चयन जिलाधिकारी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

2— स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रभावोन्मुख विकास कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

3— कार्यों के चयन में पारदर्शिता रखी जायेगी।

स्वीकृत धनराशि को रखे जाने की व्यवस्था

➢ योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी विभाग / संस्था के कोषागार में संचालित डिपाजिट खाते में हस्तांतरित किया जायेगा, जहाँ से निर्धारित प्रकिया तथा कार्यों की आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

➢ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च को अप्रयुक्त धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी और उपयोग की गयी धनराशि का पूर्ण लेखा—जोखा नियोजन अनुभाग—4 को उपलब्ध कराया जायेगा।

कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाना

जिलाधिकारी द्वारा चयनित कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय सारिणी निर्धारित करते हुए समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए सम्बंधित कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश जारी किया जायेगा और लागत की सीमा तक धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

कार्य के आगणन

➢ योजना में लिये जाने वाले कार्यों के आगणन कार्य से सम्बंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरांत गठित किये जायेंगे। आगणनों को पुनरीक्षित करने का अवसर नहीं दिया जायेगा। तदर्थ रूप से गठित आगणनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आगणनों का परीक्षण अन्तर्—विभागीय सक्षम स्तर के अधिकारी से मूल्यांकित कराया जायेगा।

➢ कार्य विशेष को सार्वजनिक उपक्रमों से कराये जाने की स्थिति में समय—समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत सेंटेज चार्ज अनुमन्य होगा। कार्यदायी संस्थाओं को अनुमन्य सेन्टेज चार्ज से भिन्न

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

इसकी सूचना नियोजन विभाग, वित्त विभाग तथा सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को दी जायेगी।

कार्यों की गुणवत्ता

कार्यों को सम्बंधित विभाग के मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता से पूर्ण किया जायेगा और सम्बंधित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय रखते हुए अपनी देखरेख में कार्य कराया जायेगा। कार्य में जहाँ कहीं कमी परिलक्षित हो, उसे जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जायेगा। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिए उत्तरदायी होगी।

कार्यों की द्विरावृत्ति पर रोक

जिलाधिकारी द्वारा कार्य विशेष हेतु धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य को अन्य किसी योजना में नहीं लिया गया है तथा न ही राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत हुई है और न ही स्वीकृति प्रस्तावित है अथवा अन्य किसी स्रोत से वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत यह कार्य सम्मिलित है।

कार्यों का समन्वय

कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा और उनके द्वारा अपनी सहायता के लिए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जायेगा।

प्रगति प्रतिवेदन

सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का प्रत्यावेदन कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कर संकलित सूचना नियोजन विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समग्र रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

शिथिलीकरण

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण विशेष परिस्थितियों में मा. मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरांत किया जा सकेगा।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com